



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56765

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4212/2026

सावन

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

...विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: आनन्द पति तिवारी

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता

: सरकारी अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय सं० - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री अनुपम आनन्द ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान आवेदन की सूचना सूचनादाता/विपक्षी संख्या 2 को दि० 10.02.2026 को एवं बाल कल्याण समिति/विपक्षी संख्या 3 को दि० 13.02.2026 को दी जा चुकी है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्राप्त समर्थन पत्रावली पर लिये गये। किन्तु उक्त विपक्षीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही उनकी ओर से कोई प्रतिशपथपत्र दाखिल किया गया।
2. आवेदक के अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/विपक्षी संख्या 4 की अधिवक्ता सुश्री पूजा त्रिपाठी को सुना। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।
3. यह जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 409 सन् 2025, अन्तर्गत धारा 64(1), 69 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/4(1) यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिनियम, थाना फाफुन्द, जिला औरैया में विचारण लम्बित रहने के दौरान जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना हेतु दाखिल किया गया है।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। घटना दि० 18.10.2025 को घटित होना कथित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दि० 26.10.2025 को दर्ज कराई गई। यह विलम्ब अभियोजन पक्ष के लिए घातक है। यह तर्क दिया गया कि पीड़िता वयस्क है। पीड़िता की आयु विद्यालय के अभिलेखों में उसके माता-पिता द्वारा जीवन में लाभ दिलाने के उद्देश्य से गलत तरीके से दर्ज कराई गई थी। विद्यालय के अभिलेखों में पीड़िता की आयु सम्बन्धी प्रविष्टि का कोई विधिक आधार नहीं है। पीड़िता के धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दिये गये कथनों पर निर्भरता रखते हुए यह तर्क दिया गया कि पीड़िता एवं आवेदक काफी लम्बे समय से सहमतिपूर्ण सम्बन्ध में थे। ऐसा सहमतिपूर्ण यौन सम्बन्ध, जो पक्षकारों के मध्य काफी लम्बे समय तक चला हो, धारा 28 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत 'तथ्य की भ्रामक धारणा' के अन्तर्गत जारी रहना नहीं कहा जा सकता तथा धारा 69 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत 'कपटपूर्ण साधनों द्वारा यौन सम्बन्ध' नहीं कहा जा सकता। आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता। आवेदक ने कभी पीड़िता से विवाह का वचन नहीं दिया। अपने तर्क के समर्थन में आवेदक के अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **प्रशान्त बनाम दिल्ली राज्य, एस.एल.पी. (आपराधिक) संख्या 2793/2024, दि० 20.11.2024** में पारित निर्णय पर निर्भरता रखी। आवेदक दि० 27.10.2025 से कारागार में बन्द है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि उसे जमानत पर मुक्त किया जाता है तो वह उक्त स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया किन्तु अभिलेख से उपरोक्त प्रस्तुतियों का सन्तोषजनक खण्डन नहीं कर सके।

6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात्, यह न्यायालय प्रथम दृष्ट्या यह पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई है। पीड़िता के धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संहिता के अन्तर्गत दिये गये कथनों के अनुसार, पीड़िता एवं आवेदक काफी लम्बे समय से सहमतिपूर्ण सम्बन्ध में थे। ऐसा सहमतिपूर्ण यौन सम्बन्ध, जो पक्षकारों के मध्य काफी लम्बे समय तक चला हो, धारा 28 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत 'तथ्य की भ्रामक धारणा' के अन्तर्गत जारी रहना नहीं कहा जा सकता तथा धारा 69 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत 'कपटपूर्ण साधनों द्वारा यौन सम्बन्ध' नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह चार माह से अधिक अवधि से कारागार में बन्द है तथा आरोप-पत्र दाखिल हो जाने के पश्चात् विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई सम्भावना नहीं है, विशेषतः जब राज्य द्वारा कोई उचित आशंका व्यक्त नहीं की गई; अतएव मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, मेरे मत में, आवेदक जमानत पर मुक्त होने का अधिकारी है।

7. आवेदक **सावन**, को उपरोक्त प्रकरण में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये कि वह:-

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा;
- (ii) अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; एवं
- (iii) अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

19 मार्च, 2026